

भारत सरकार  
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 529  
मंगलवार, 6 फरवरी, 2024/17 माघ, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

कृषि क्षेत्र में सहकारिता समितियां

+529. श्री मनोज तिवारी :

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) देशभर में कृषि क्षेत्र में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं;  
(ख) सहकारी समितियों द्वारा सीधे किसानों से फलों और सब्जियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल कितनी खरीद की जाती है;  
(ग) क्या सरकार का विचार कृषि आधारित सहकारी समितियों के लिए नीति बनाने का है;  
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और  
(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर  
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): राज्य सरकारों के सहयोग से और भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा एक विस्तृत राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) विकसित किया गया है। पैक्स सहित सहकारी समितियों के विभिन्न क्षेत्रों के आंकड़े राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों द्वारा डेटाबेस में प्रविष्ट किया गया है। एनसीडी पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश भर में कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध 'क' में संलग्न है।

(ख): उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) से प्राप्त फलों और सब्जियों की खरीद से संबंधित सूचना क्रमशः अनुबंध 'ख' और 'ग' में संलग्न है।

(ग) से (ङ): नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु की अध्यक्षता में 49 सदस्यीय राष्ट्र-स्तरीय समिति गठित की गई थी जिसमें सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञों, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सचिव (सहकारिता) और सहकारी समितियों के पंजीयकों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के अधिकारी शामिल थे। इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर की समिति ने सुझाव/सिफारिशें प्राप्त करने के लिए देश भर में 17 बैठकों और 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार की गई नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति पर मसौदा रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है।

देश भर में कृषि क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या।

| क्र.सं. | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम  | कृषि और संबद्ध सहकारी समितियां (गैर-साख) | प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) |
|---------|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1       | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह      | 11                                       | 45                                |
| 2       | आंध्र प्रदेश                      | 515                                      | 2002                              |
| 3       | अरुणाचल प्रदेश                    | 129                                      | 10                                |
| 4       | असम                               | 469                                      | 770                               |
| 5       | बिहार                             | 576                                      | 8307                              |
| 6       | चंडीगढ़                           | 1                                        | 4                                 |
| 7       | छत्तीसगढ़                         | 65                                       | 1563                              |
| 8       | दिल्ली                            | 6                                        | 0                                 |
| 9       | गोवा                              | 72                                       | 76                                |
| 10      | गुजरात                            | 6831                                     | 9630                              |
| 11      | हरियाणा                           | 273                                      | 778                               |
| 12      | हिमाचल प्रदेश                     | 66                                       | 2085                              |
| 13      | जम्मू और कश्मीर                   | 442                                      | 438                               |
| 14      | झारखंड                            | 313                                      | 2391                              |
| 15      | कर्नाटक                           | 517                                      | 5883                              |
| 16      | केरल                              | --                                       | 1594                              |
| 17      | लद्दाख                            | 2                                        | 113                               |
| 18      | लक्षद्वीप                         | 1                                        | 0                                 |
| 19      | मध्य प्रदेश                       | 1619                                     | 4073                              |
| 20      | महाराष्ट्र                        | 4898                                     | 20844                             |
| 21      | मणिपुर                            | 253                                      | 148                               |
| 22      | मेघालय                            | 137                                      | 506                               |
| 23      | मिजोरम                            | 167                                      | 65                                |
| 24      | नागालैंड                          | 796                                      | 800                               |
| 25      | ओडिशा                             | 93                                       | 2854                              |
| 26      | पुडुचेरी                          | 4                                        | 50                                |
| 27      | पंजाब                             | 208                                      | 3504                              |
| 28      | राजस्थान                          | 310                                      | 6143                              |
| 29      | सिक्किम                           | 24                                       | 170                               |
| 30      | तमिलनाडु                          | 150                                      | 4466                              |
| 31      | तेलंगाना                          | 563                                      | 889                               |
| 32      | दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव | 13                                       | 9                                 |
| 33      | त्रिपुरा                          | 129                                      | 214                               |
| 34      | उत्तर प्रदेश                      | 738                                      | 6722                              |
| 35      | उत्तराखंड                         | 189                                      | 669                               |
| 36      | पश्चिम बंगाल                      | 58                                       | 4701                              |
|         | <b>कुल</b>                        | <b>20638</b>                             | <b>92516</b>                      |

**उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से प्राप्त जानकारी**

**(क) मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद**

जुलाई और अगस्त, 2023 के दौरान टमाटर की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए, सरकार मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत टमाटर की खरीद के साथ-साथ आपूर्ति का कार्य करती है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) ने आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की मंडियों से टमाटर की खरीद की और उसे प्रमुख शहरों में आपूर्ति की जहां पिछले एक महीने में खुदरा कीमतों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा कुल 1603.42 मेट्रिक टन टमाटर की खरीद करके उसकी आपूर्ति दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रमुख खपत केंद्रों में लगातार की गई।

**(ख) मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत प्याज की खरीद**

मूल्य स्थिरीकरण के अधीन दो किसान सहकारी एजेंसियों, नामतः नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से किसानों/किसान उत्पादक संगठनों से प्याज की खरीद करके प्याज के बफर स्टॉक को बरकरार रखा जाता है जिसे संतुलित दरों पर चरणबद्ध तरीके से तदोपरांत जारी किया जाता है। वर्ष 2022-23 में अनुमोदित 2.5 लाख मेट्रिक टन की तुलना में वर्ष 2023-24 में मूल्य स्थिरीकरण के तहत प्याज के खरीद का लक्ष्य 7.00 लाख मेट्रिक टन अनुमोदित किया गया है। आज की तारीख तक नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा कुल 6.30 लाख मेट्रिक टन प्याज की खरीद की गई है।

**भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) से प्राप्त सूचना**

नेफेड द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान फलों और सब्जियों की राज्य-वार खरीद का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| वर्ष    | फल/सब्जी का नाम   | राज्य       | खरीदी गई मात्रा (मेट्रिक टन) | लागत (रुपए)   |
|---------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------|
| 2022-23 | पीएसएफ रबी प्याज  | महाराष्ट्र  | 238196.24                    | 3512368714.79 |
|         |                   | गुजरात      | 7476.47                      | 101384242.00  |
|         |                   | मध्य प्रदेश | 5383.54                      | 74746018.07   |
|         | पीएसएफ खरीफ प्याज | महाराष्ट्र  | 16602.27                     | 158495076.51  |
|         |                   | गुजरात      | 1259.46                      | 10326559.00   |